न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 85 / 2023	2023 / 420	26.07.2023	09.01.2025

01. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. समीर खां पुत्र श्री कन्नी खां, उचित मूल्य दुकानदार घाटला, तह0 अलवर ग्रामीण एवं वाहन चालक चन्द्रकेश पुत्र श्री राज बहादुर जाति यादव निवासी ग्राम डोकावी, पं.स. अतरोलिया, जिला आजमगढ, उत्तरप्रदेश।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976, कैरोसीन (उपयोग पर निर्बधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के तहत 4000 लीटर केरोसीन, वरूणा मोनो सेट पम्प (मोटर), दो प्लास्टिक की खाली पीपी एवं वाहन टैंकर नं. एचआर—38—P—1252 को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर —विभागीय प्रतिनिधि
2. श्री श्योराम सिंह नरूका — वकील अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 कैरोसीन (उपयोग पर निर्बधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के तहत 4000 लीटर केरोसीन, वरूणा मोनो सेट पम्प (मोटर), दो प्लास्टिक की खाली पीपी एवं वाहन टैंकर नं. एचआर—38—पी—1252, को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6—ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि श्रीमान जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 14.06.2016 को दिये गये निर्देश की अनुपालना में केरोसीन के अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री प्रशान्त यादव, प्रवर्तन निरीक्षक जांच हेतु मौके पर पुलिस थाना सदर, अलवर पर पहुंचे। पुलिस थाना सदर, अलवर के एस.एच.ओ. ने तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत की। एस.एच.ओ. सदर, अलवर द्वारा दी गई तहरीर रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 14.06.2016 को खिचिर की सूबना के आधार एक सफेद टैंकर ग्राम झाडोली में राशन की दुकान से केरोसीन भर रहा है। सूचना मिलने पर एसएचओ श्री कैलाश चौधरी मय जाप्ता मौक पर पहुंचे। मौके पर एक टैंकर नं. एचआर—38—पी—1252 खडा पाया गया तथा वाहन चालक चन्द्रकेश पुत्र श्री राज बहादुर जाति यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम डोकावी, पंचायत समिति अतरोलिया, जिला आजमगढ, उत्तरप्रदेश तथा समीर खां पुत्र श्री कन्नी खां, उचित मूल्य दुकानदार घाटला, तहसील अलवर ग्रामीण मौजूद मिले। जो दुकान में स्थित ड्रमों में मोटर लगाकर टैंकर में केरोसीन भर रहे थे। जिस बाबत दोनों ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। उक्त टैंकर सहित चालक य उचित मूल्य दुकानदार को थाना परिसर में लाया गया। जांच दल

अ... जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

द्वारा मौके पर थाना परिसर में खड़े टेकर नं एचआर–38–पी–1252 की जांच की गई। टैंकर पर Essar लिखा हुआ मिला। टैंकर के चैम्बर नं0 1, 2 एवं 3 काला तेल मिला केरोसीन पाया गया। चैम्बर नं० 1 में 3000 लीटर, चैम्बर नं02 में 700 लीटर तथा चैम्बर नं० 3 में 300 लीटर केरोसीन तेल पाया गया। टैंकर के केबिन में एक मोटर वरूणा मोनो सेट पम्प, एक पाईप हरे रंगा तथा एक पाई हल्के नीले रंग का जिसमे वाल्व लगा हुआ है, पाया गया। साथ ही दो पीपी पाई गई जिससे काला तेल खाली कर केरोसीन में मिलाना प्रतीत होता है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन को काला कर कालाबाजारी हेतु ले जाया जाना प्रतीत होता है। टैंकर के ड्राईवर श्री चन्द्रकेश न पूछने पर बताया कि समीर खां उसे अपनी दुकान पर ले गया तथा टैंकर पर मोटर लगाकर केरोसीन तेल भरवा रहा था तथा उसमें काला तेल भी मिला रहा था। श्री समीर खां, उचित मूल्य दुकानदार तथा श्री चन्द्रकेश टैंकर ड्राईवर का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा केरोसीन (उपयोग पर निबंधन व अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की स्पष्ट अवहेलना है, जो दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण समस्त 4,000 लीटर केरोसीन, वरूणा मोनो सेट पम्प (मोटर), दो पाईप मय वाल्व, दो प्लास्टिक की खाली पीपी को मय वाहन टैंकर नं. एचआर–38–पी–1252 को जब्त किया गया। टैंकर नं० एचआर–38–पी–1252, वरूणा मोनो सेट पम्प (मोटर), दो पाईप मय वाल्व, एवं दो प्लास्टिक की खाली पीपी को सदर थानाधिकारी को सुपुर्द किया गया एवं 2000 लीटर केरोसीन श्री तैयब खां पुत्र श्री युध खां, उचित मूल्य दुकानदार ककराली एवं 2000 लीटर केरोसीन तेल श्री लल्लू, उचित मूल्य दुकानदार कारोली फर्द जप्ती व फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। टैंकर नं० एचआर–38–पी–1252 के चैम्बर नं. 1 चैम्बर नं. 2, चैम्बर नं. 3 में भरे केरोसीन के पृथक–पृथक तीन–तीन सैम्पल लिए गए। प्रत्येक चैम्बर के दो–दो सैम्पल (कुल छः सैम्पल) थानाधिकारी को एफ एस एन (Forensic Science Laboratory) में जांच करोन हेतु सुपुर्द किए गये थे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त जब्त समस्त 4,000 लीटर केरोसीन, वरूणा मोनो सेट पम्प (मोटर), दो पाईप मय वाल्व, दो प्लास्टिक की खाली पीपी को मय पाहन टंकर नं. एचआर–38–पी–1252 को राजसात करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अप्रार्थी वकील द्वारा अपने समर्थन में मुख्य कथन किया है कि उक्त केरोसीन से अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। विभागीय प्रतिनिधि के अनुसार वक्त जांच मौके पर एक टैंकर नं. एचआर–38–पी–1252 खडा पाया गया तथा वाहन चालक चन्द्रकेश पुत्र श्री राज बहादुर जाति यादव, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम डोकावी, पंचायत समिति अतरोलिया, जिला आजमगढ, उत्तरप्रदेश तथा समीर खां पुत्र श्री कन्नी खां, उचित मूल्य दुकानदार घाटला, तहसील अलवर ग्रामीण मौजूद मिले, जो दुकान में स्थित ड्रमों में मोटर लगाकर टैंकर में केरोसीन भर रहे थे। जिस बाबत दोनों ने कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किये। जांच दल द्वारा मौके पर थाना परिसर में खड़े टैंकर नं एचआर–38–पी–1252 की जांच की गई। जांच करने पर टैंकर के चैम्बर नं0 1, 2 एवं 3 में काला तेल मिला केरोसीन पाया गया तथा चैम्बर नं० 1 में 3000 लीटर, चैम्बर नं02 में 700 लीटर तथा चैम्बर नं० 3 में 300 लीटर केरोसीन तेल पाया गया। टैंकर के केबिन में एक मोटर वरूणा मोनो सेट पम्प, एक पाईप हरे रंग का तथा एक पाई हल्के नीले रंग का जिसमे वाल्व लगा हुआ पाए गए एवं साथ ही दो पीपी पाई गई जिससे काला तेल खाली कर केरोसीन में मिलाना प्रतीत होता है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन को काला कर कालाबाजारी हेतु ले जाया जाना प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि श्री समीर खां पुत्र श्री कन्नी खां, उचित मूल्य दुकानदार घाटला, तहसील अलवर द्वारा उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा केरोसीन (उपयोग पर निबंधन व

अ. ...जिला कलक्टर ...
अलवर (राज०)

अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की स्पष्ट अवहेलना की गई है, जो दण्डनीय अपराध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, उक्त जब्त समस्त 4,000 लीटर केरोसीन, वरूणा मोनो सेट पम्प (मोटर), दो पाईप मय वाल्व, दो प्लास्टिक की खाली पीपी को मय वाहन टंकर नं. एचआर–38–P–1252, को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्त समस्त 4,000 लीटर केरोसीन, वरूणा मोनो सेट पम्प (मोटर), दो पाईप मय वाल्व, दो प्लास्टिक की खाली पीपी को मय वाहन टैंकर नं. एचआर–38–P–1252, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)